



राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के० संख्या- 02/06-07

विषय:- श्रीनिवास चारी, पिता-श्री मदन मोहन नंदन, गाँधी मूर्ति से पश्चिम, सुरसंड कोठी के निकट, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना का प्राप्त आवेदन-पत्र।

03.11.2006

लोक सूचना पदाधिकारी, मानव संसाधन (उच्च शिक्षा) विभाग, को अपील की प्रति उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सभी सूचनाएँ दिनांक-13.11.06 तक आयोग को उपलब्ध कराने तथा दिनांक-15.11.06 को 11.00 बजे प्रातः में आयोग की आगामी सुनवाई में उपस्थित रहने का निदेश दिया जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

15.11.2006

आयोग की दिनांक-15.11.06 की बैठक में आवेदक श्रीनिवास चारी उपस्थित थे तथा लोक सूचना पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आवेदक को सलाह दिया गया कि शिक्षा आयुक्त जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी है, उनके समक्ष वे प्रथम अपील दायर करें तथा उसके फलाफल के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो आयोग के समक्ष आवें। इस आदेश के साथ इनका आवेदन पत्र निस्तारित समक्षा जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त